न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला. पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 187/2015

वादी :-

1. लाबुराम पुत्र उरजाराम
   जाति-कुम्हार, निवासी- बलुन्दा
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादी :-

1. हापु पुत्र घीसा
2. तेजा पुत्र घीसा
3. मोहन पुत्र घीसा
4. अणदा पुत्र घीसा
5. सतीया पुत्र घीसा
6. नवला पुत्र उरजा
7. खेतीया पुत्र उरजा
8. मांगु पुत्र पाबु
9. चैना पुत्र पाबु
10. बिरदा पुत्र राजू
11. सुखा पुत्र राजू
    जातियान-कुम्हार, निवासी- बलुन्दा
    तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 12/06/2015

उपस्थितः. 1. वादी स्वयं उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण उपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 12/06/2015

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र - बलुन्दा पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट'' में वादीगण ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा-बलुन्दा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1023 रकबा 3-18 बीघा, खसरा नम्बर 1024 रकबा 0-19 बीघा, खसरा नम्बर 1025 रकबा 6-02 बीघा, खसरा नम्बर 1026 रकबा 6-03 बीघा, खसरा नम्बर 1027 रकबा 20-15 बीघा, कुल किता-5 कुल रकबा 38-17 बीघा की भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि में वादी का नाम बाबु पुत्र उरजा दर्ज हैं। अज्ञानतावश दस्तावेजात में बाबु पुत्र उरजा दर्ज करवा दिया था जो वादी का बोलता नाम था। जबकि वादी का वास्तविक नाम लाबुराम पुत्र उरजाराम सही हैं। वाद पत्र के ताईद में दस्तावेजात लाबुराम पुत्र उरजाराम का चुनाव फोटो परिचय पत्र संख्या RJ/21/159/210288 दिनांक 31/03/1995 व आधार कार्ड संख्या 947856556129 की छाया प्रतियाँ भी प्रस्तुत की, जिससे वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि होती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने एवं वादी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम बाबु पुत्र उरजा के स्थान पर लाबुराम पुत्र उरजाराम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। आज दिनांक 12/06/2015 को ही वादी एवं प्रतिवादीगण ने तहरीरी राजीनामा भी इसी आशय का पेश कर विवादित आराजी की भूमि में वादी का नाम वास्तविक रूप से समझाईस से आपस में राजी बाजी हो जाने तथा दर्ज गलत नाम बाबु पुत्र उरजा के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का वास्तविक नाम लाबुराम पुत्र उरजाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा बाद पहिचान पृथक से राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा-ए-आम लोक अदालत शिविर- बलुन्दा में जानकारी भी प्राप्त की गई। प्रस्तुत तस्दीकशुदा राजीनामा एवं उक्त दस्तावेजात अनुसार बाबु पुत्र उरजा गलत रूप से दर्ज होना तथा वादी का वास्तविक नाम लाबुराम पुत्र उरजाराम होना बखूबी साबित हैं। जिससे वादी का वाद माफिक राजीनामा एवं साक्ष्य सबूत के उक्त दस्तावेजात स्वीकार किया जाना तथा वादी के गलत दर्ज नाम बाबु पुत्र उरजा जाति- कुम्हार निवासी- बलुन्दा के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक सही नाम लाबुराम पुत्र उरजाराम दुरुस्त करवाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बलुन्दा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1023 रकबा 3-18 बीघा, खसरा नम्बर 1024 रकबा 0-19 बीघा, खसरा नम्बर 1025 रकबा 6-02 बीघा, खसरा नम्बर 1026 रकबा 6-03 बीघा, खसरा नम्बर 1027 रकबा 20-15 बीघा, कुल किता-5 कुल रकबा 38-17 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम बाबु पुत्र उरजा के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम लाबुराम पुत्र उरजाराम दुरुस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी से रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/06/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र बलुन्दा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

वादी :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. लाबुराम पुत्र उरजाराम जाति–कुम्हार, निवासी– बलुन्दा तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)		1. हापु पुत्र घीसा 2. तेजा पुत्र घीसा 3. मोहन पुत्र घीसा 4. अणदा पुत्र घीसा 5. सतीया पुत्र घीसा 6. नवला पुत्र उरजा 7. खेतीया पुत्र उरजा 8. मांगु पुत्र पाबु 9. चैना पुत्र पाबु 10. बिरदा पुत्र राजू 11. सुखा पुत्र राजू जातियान–कुम्हार, निवासी– बलुन्दा तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 187/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–बलुन्दा, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1023 रकबा 3–18 बीघा, खसरा नम्बर 1024 रकबा 0–19 बीघा, खसरा नम्बर 1025 रकबा 6–02 बीघा, खसरा नम्बर 1026 रकबा 6–03 बीघा, खसरा नम्बर 1027 रकबा 20–15 बीघा, कुल किता–5 कुल रकबा 38–17 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम बाबु पुत्र उरजा के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम लाबुराम पुत्र उरजाराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी से रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... –.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र बलुन्दा में आज तारीख 12/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

मिजानः–

मिजानः–

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner